

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, करौली  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट) कैम्प अतेवा

-: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी अतेवा व नू-अनिलेख निरीक्षक कैलादेवी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार करौली / नायब तहसीलदार X की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 136 के अनुसूच्य में ग्राम अतेवा तहसील करौली व जिला करौली की जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में खाता संख्या 64, 65 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।)
1	अतेवा	64, 65	श्रीगुरिपा पुत्र बुद्ध कौम चमार सा. देह  श्रीगुरिपा पुत्र बुद्ध दि. 1/2 दौजी पुत्र जंगोली दि. 1/2 कौम चमार सा. देह	श्रीगुरिपा पुत्र बुद्ध कौम चारव सा. देह  श्रीगुरिपा पुत्र बुद्ध दि. 1/2 दौजी पुत्र जंगोली दि. 1/2 कौम चारव सा. देह

( अखण्ड अधिकारी )  
पीठासीन अधिकारी  
लोक अदालत, कैम्प अतेवा  
उप खण्ड अधिकारी, करौली

दिनांक :-

क्रमांक :-  
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार करौली को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।  
अतेवा को सूचनायें।